कार्यालय जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् शिवपुरी (म.प्र.)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक / डीएटीसी / 81 / 2020

शिवपुरी, दिनांक 30/12/2020

/ / निविदा सूचना / /

1

एतद् द्वारा इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्, शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वॉटर शो, पार्किंग सहित), छत्री रोड़, शिवपुरी को 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मों से दिनांक 20 / 01 / 2021 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 19 / 01 / 2021 तक कार्यालयीन समय सांयः 5.00 बजे तक रूपये 2000 / – डी.डी. के माध्यम से जमा कर जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्, शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अध्यक्ष, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्, शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी। प्राप्त निविदा दिनांक 20 / 01 / 2021 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सांयः 4.00 बजे खोली जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वॉटर शो, पार्किंग सहित) शिवपुरी को 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण कार्य	रू. 8,500 / –	रू. 1,00,000 / –	20 दिवस

नोटः– भदैयाकुण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्मों को निविदा की तकनीकी बिड़ के साथ अपना कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसका कंसेप्ट प्लान डीएटीसी द्वारा सर्वमान्य किया जायेगा, उसी के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे।

नोडल अधिकारी
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्
शिवपुरी (म.प्र.)

कमांक / डीएटीसी / 82 / 2020

शिवपुरी दिनांक 30-12-2020

प्रतिलिपि

1- एन. आई. सी. शिवपुरी म. प्र.
2- सूचना पटल कलेक्ट्रेट / तहसील / नगरपालिका में चस्पा हेतु।

नोडल अधिकारी
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्
शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् शिवपुरी (म.प्र.)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक/डीटीपीसी/ 81 /2020 शिवपुरी, दिनांक 30/12/2020

//निविदा सूचना//

एतद् द्वारा इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मों को सूचित किया जाता है कि जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वॉटर शो, पार्किंग सहित), छत्री रोड़, शिवपुरी को 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मों से दिनांक 20/01/2021 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 19/01/2021 तक कार्यालयीन समय सांयः 5.00 बजे तक रूपये 2000/- डी.डी. के माध्यम से जमा कर जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्, शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते हैं। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अध्यक्ष, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्, शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी। प्राप्त निविदा दिनांक 20/01/2021 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सांयः 4.00 बजे खोली जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वॉटर शो, पार्किंग सहित) शिवपुरी को 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण कार्य	रू. 8,500/-	रू. 1,00,000/-	20 दिवस

नोटः- भदैयाकुण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्मों को निविदा की तकनीकी बिड़ के साथ अपना कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा, जिसका कंसेप्ट प्लान डीएटीसी द्वारा सर्वमान्य किया जायेगा, उसी के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे।

आवश्यक शर्तें:-

1. भदैयाकुण्ड संचालन एवं संधारण हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 1.00 लाख (एक लाख) रूपये डीएटीसी के नाम जमा जमा कराना होंगें, जो ठेके के सफलतापूर्वक संचालन पूर्ण होने की स्थिति में 3 वर्ष 6 माह बाद ब्याज रहित वापिस किये जायेंगे।
2. किराये की राशि मासिक जमा की जाना होगी। मास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा। नियत अवधि मे किराया जमा न करने की दशा में बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। विलम्ब 90 दिवस से अधिक होने पर 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
3. किन्ही भी कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा। ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

4. किन्ही कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में या कार्य अवधि पूर्ण होने की स्थिति में संचालनकर्ता को भदैयाकुण्ड एवं पार्किंग क्षेत्र तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा अन्यथा की स्थिति में 1,000/– प्रति दिवस के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

5. संचालनकर्ता को विद्युत व्यय स्वयं वहन करना होगा। प्रकाश, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

6. क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रायवेट सिक्योरिटी में गार्ड रखना होंगे (जिनकी ड्यूटी 8–8 घण्टे होगी), चारों ओर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित करना होंगे।

7. सम्पूर्ण एरिया पॉलीथिन फ्री रखना होगा।

8. भदैयाकुण्ड की साफ–सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु 01 माली एवं 02 सफाई कर्मचारी रखना होंगे। स्टाफ ट्रेंड होगा, वर्दी में रहेगा, संचालनकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या नागरिकों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर डीएटीसी कभी भी कर्मचारी को पृथक करने का आदेश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

9. सिंगल गेट एन्ट्री टिकिट के आधार पर रहेगी। सामान्य प्रवेश पर 5 साल तक के बच्चों के लिये 5/– तथा 5 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के लिये 10/– प्रति व्यक्ति एवं वॉटर शो 5 साल तक के बच्चों के लिये 10/– तथा 5 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के लिये 20/– प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क (दो वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर) का निर्धारण डीएटीसी द्वारा किया गया है। प्रवेश शुल्क हेतु कट्टे डीएटीसी द्वारा जारी नहीं किये जावेंगे। वसूली हेतु संचालनकर्ता को कर्मचारी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10. कृत्रिम झरने एवं वाटर शो का समय प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से 08:00 बजे तक होगा। डीएटीसी को आवश्यकतानुसार वाटर शो चलाने का अधिकार होगा जिसका शुल्क संचालनकर्ता को देय नहीं होगा।

11. भदैयाकुण्ड के सामने की ओर स्थित पार्किंग का निर्धारित शुल्क भी स्वयं वसूलना होगा, इस पर डीएटीसी का कोई अधिकार नहीं होगा। पार्किंग हेतु डीएटीसी द्वारा 5/– दो पहिया वाहन एवं 10/– प्रति चार पहिया वाहन (लाइट वाहन) शुल्क निर्धारित किया गया है। इस हेतु कर्मचारी की व्यवस्था संचालनकर्ता को स्वयं करनी होगी।

12. प्रवेश टिकिट एवं पार्किंग टिकिट की रसीद संधारित की जावेगी। प्रवेश शुल्क एवं पार्किंग शुल्क हेतु कटटे संचालनकर्ता द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होगी। वसूली हेतु संचालनकर्ता को कर्मचारी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13. सभी टैक्स अदा करने होंगे एवं जीएसटी का रजिस्ट्रशन भी प्रस्तुत करना होगा।

14. प्रतिवर्ष आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव का व्यय संचालनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

15. साफ–सफाई नियम अनुसार कराना होगी, कचरे के निपटान के लिए नगर पालिका शिवपुरी द्वारा चिन्हित स्थान पर कचरा भेजने की व्यवस्था करनी होगी।

16. डीएटीसी द्वारा संचालनकर्ता के कर्मचारियों, मंदिर के पुजारियों एवं डीएटीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों व कार्यरत ठेकेदारों हेतु पास जारी किये जावेंगें, जिनका प्रवेश निःशुल्क रहेगा। डीएटीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों से संचालनकर्ता द्वारा प्रवेश शुल्क नहीं लिया जावेगा।

17. किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं अपरिहार्य स्थिति हेतु संचालनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

18. संचालनकर्ता को जनहित में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले समस्त आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

19. अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन, गम्भीर शिकायत प्राप्त होने की स्थिति एवं अनियमितता की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा 15 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्ती की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा। ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

20. समस्त विवाद उभय पक्ष बैठकर सुलझाएंगे परन्तु विवाद की स्थिति में कलेक्टर शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।

21. अध्यक्ष जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद शिवपुरी द्वारा एक माह का नोटिस देकर कभी भी अनुबंध समाप्त कर सकेगा। संचालनकर्ता की अमानत राशि बगैर ब्याज के वापिस की जावेगी।

नोडल अधिकारी
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद
शिवपुरी (म.प्र.)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद्
शिवपुरी (म.प्र.)